कम्प्यूटर परिपत्र सं0- 1415100 दिनांक 11-12-2014

पत्रसं0-ज्वा0कमि0(वि0अनु0शा0)मु0-/स0प0/13-14 / 03 माह लगातार/ 2369 / वाणिज्य कर

कार्यालय कमिश्नर, वाणिज्य कर, उ0प्र0
(वि0अनु0शा0-अनुभाग)
लखनऊ :: दिनांक 08 दिसम्बर,2014

**समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर,**
**एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2 (वि0अनु0शा0) वाणिज्य कर,**
**उत्तर प्रदेश।**

मुख्यालय पर एम0आई0एस0 सिस्टम से समीक्षा किये जाने पर यह स्पष्ट हुआ है कि नियमानुसार मासिक/ त्रैमासिक कर-निर्धारण अवधि हेतु अर्ह फर्मो/ सम्व्यवहारियों द्वारा बिना कारण रुपपत्र न दाखिल किये जाने पर कर-निर्धारण अधिकारियों के स्तर से अर्थदण्ड आरोपित किये जाने की कार्यवाही किये जाने के बावजूद रुपपत्रों के दाखिल किये जाने की स्थिति सन्तोषजनक नहीं पायी गयी है। अत: यह चिन्हित किया जाना अत्यन्त आवश्यक है कि जिन व्यापारियों द्वारा रुपपत्र दाखिल नही किये जा रहे है उनका व्यापार चल रहा है अथवा बन्द है। इस क्रम में निम्नानुसार कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है :-

1- सभी करनिर्धारण अधिकारियों से अपेक्षित है कि अपने अधिकार क्षेत्र में ऐसे पंजीकृत फर्मो / सम्व्यवहारियो की सूची तैयार करें जो निर्धारित अवधि के रिटर्न दाखिल नही कर रहे है। वर्तमान में वाणिज्य कर अधिकारी स्तर के अधिकांश वाद डीम्ड कर दिये गये है। इस कारण खण्ड / मण्डल में कार्यरत वाणिज्य कर अधिकारियों के पास कर-निर्धारण वादों की संख्या अत्यन्त कम रह गयी है। अत: रिटर्न न दाखिल करने वाले फर्मो/ सम्व्यवहारियो की सूची प्राथमिकता के आधार पर सम्बन्धित खण्डाधिकारी अपने अधीनस्थ वाणिज्य कर अधिकारी को उपलब्ध कराते हुए उन्हें निर्देशित करें कि वह अपने अधिक्षेत्र/खण्डकी ऐसी फर्मो / सम्व्यवहारियों के व्यापार स्थल की जॉच कर जिन फर्मो / सम्व्यवहारियो का व्यापार बन्द पाया जाय ऐसी फर्मो / सम्व्यवहारियो के विरुद्ध नियमानुसार पंजीयन निलम्बन / निरस्तीकरण की कार्यवाही हेतु जॉच रिपोर्ट संबंधित अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करे। सम्बन्धित करनिर्धारण अधिकारी प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर तत्काल कार्यवाही सम्पादित करें। उक्त के अतिरिक्त जॉच पर ऐसी फर्मो / सम्व्यवहारियो जिनका व्यापार चल रहा है एवं उनके द्वारा रुपपत्र दाखिल नही किये जा रहे है, को चिन्हित कर एक सूची अलग से बनाकर सम्बन्धित वि0अनु0शा0 अधिकारियों को ज्वाइंट कमिश्नर (कार्यपालक) के माध्यम से जॉच किये जाने हेतु उपलब्ध करायी जाय। यह कार्यवाही बिलम्बतम दिनांक 31-01-2015 तक पूर्ण कर ली जाय। वि0अनु0शा0 अधिकारी ऐसी फर्मो /सम्व्यवहारियो की वि0अनु0शा0 जॉच कर सम्बन्धित करनिर्धारण अधिकारी को सर्वे रिपोर्ट एवं प्राथमिक प्रतिवेदन उपलब्ध करायेंगें। प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर करनिर्धारण अधिकारी ऐसी फर्मो के विरुद्ध कर-निर्धारण, अर्थदण्ड की कार्यवाही करते हुए अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही भी करना सुनिश्चित करेंगे।

2- मुख्यालय समीक्षा पर यह भी पाया गया कि दाखिल रिटर्नो में प्रदर्शित टर्नओवर का सम्यक परीक्षण नही किया जा रहा है। अत: निर्देशित किया जाता है कि 0.5 प्रतिशत से कम कर जमा करने वाले सम्व्यवहारियों के रुपपत्रों का सूक्ष्म परीक्षण कराना सुनिश्चित करें तथा जहाँ पर प्रदर्शित टर्नओवर के सापेक्ष 0.5 प्रतिशत से कम कर जमा करने का औचित्यपूर्ण एवं नियमानुसार कारण न हो, तब ऐसी फर्मो/ सम्व्यवहारियों के विरुद्ध तत्काल अस्थायी कर-निर्धारण की कार्यवाही कराई जाय। करनिर्धारण अधिकारी ऐसे सम्व्यवहारियों की सूची में से ऐसी फर्मे चिन्हित करेंगें जिनके टर्नओवर एवं टैक्स में बिना कारण सुधार परिलक्षित नही पाया जाता है। ऐसे सम्व्यवहारियों की सूची अपने ज्वाइण्ट कमिश्नर (कार्यपालक) के माध्यम से वि0अनु0शा0 इकाई को उपलब्ध करायेगें। इस संदर्भ में एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2 (वि0अनु0शा0) प्रत्येक माह ज्वाइंट कमिश्नर (कार्य0) एवं ज्वाइंट कमिश्नर (वि0अनु0शा0) के साथ एक बैठक करेंगे तथा ऐसे मामलों का अनुश्रवण करेंगे जहॉ विस्तृत जांच की आवश्यकता हो वहॉ वि0अनु0शा0 जांच भी की जायेगी। यह कार्यवाही दिनांक 28-02-2015 तक पूर्ण कर ली जाय।

3- अत: कृपया तदनुसार अपने जोन के समस्त कर-निर्धारण अधिकारियों एवं वि0अनु0शा0 इकाईयों में कार्यरत अधिकारियों को उपरोक्तानुसार कार्यवाही के सम्बन्ध में संसूचित कर अनुपालन कराते हुए कृत कार्यवाही का नियमित अनुश्रवण के साथ मुख्यालय को अवगत कराया जाना सुनिश्चित करें। उपर्युक्त सम्बन्ध में कृत कार्यवाही की समीक्षा मासिक समीक्षा बैठक में की जायेगी।

उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

5.12.2014
**(मृत्युंजय कुमार नारायण)**
कमिश्नर वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश।